

Policy No : 904248293



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1938 द्वारा संस्थापित) / (Established by the Life Insurance Corporation Act, 1938)

एल आई सी का जीवन सुगम (लाभ सहित योजना)

LIC's JEEVAN SUGAM (WITH PROFITS)



UIN: 512N273V01 Plan No. 813

भारतीय जीवन बीमा निगम को (जिसे यहाँ बाद में 'निगम' कहा गया है) यहाँ नीचे वर्णित अनुसूची में उल्लिखित प्रस्तावक और बीमित से प्रस्ताव एवं घोषणापत्र और एकल प्रीमियम की राशि प्राप्त हुई है और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणापत्र पर उसमें निहित तथा उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत, उक्त प्रस्तावक और निगम के बीच इस बीमे के आधार के रूप में सहमति हो गई है, अतः निगम इस पॉलिसी द्वारा करार करता है कि इस बीमे के मुताबिक निगम को इस बीमा का प्रत्येक वर्ष निगम के उस शाखा कार्यालय में जहाँ इस पॉलिसी के लिए सेवा उपलब्ध कराई जाती है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिन्हें वह उक्त अनुसूची की शर्तों के अनुसार देय हो निगम को इस बात की संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर करेगा कि अनुसूची की शर्तों अनुसार बीमा राशि, देय हो चुकी है और भुगतान का दावा करने वाला / वाले उसके हकदार है और प्रस्ताव में उल्लिखित बीमित व्यक्ति की आयु सही है यदि पहले से स्वीकृत नहीं।

और एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह बीमा पॉलिसी उक्त की निम्नी और मुद्रित शर्तों एवं सुविधाओं के अधीन होगी और निम्नलिखित अनुसूची और निगम द्वारा पॉलिसी पर किए गए हर पृष्ठकम को इस पॉलिसी का अंग माना जाएगा।

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") having received a Proposal along with the Declaration and single premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree, to pay the Benefits, but without interest, at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Benefits having become payable as set out in the Schedule, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted

And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Conditions and Privileges printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy.

DIVISIONAL OFFICE: मंडल कार्यालय

SCHEDULE: अनुसूची

BRANCH OFFICE: शाखा कार्यालय

पॉलिसी सं.: Policy No.: 904248293	एकल प्रीमियम (₹) Single Premium (₹): 32532.00	बीमाधारक की जन्मतिथि: Date of birth of the Life Assured: 17/06/2001
पॉलिसी आरंभ होने की तिथि: Date of Commencement of policy: 15/03/2013	मूल बीमाधन (₹) Basic Sum Assured (₹): 325320	बीमित व्यक्ति की आयु: Age of the Life Assured: 12
जोड़िये आरंभ होने की तिथि: Date of Commencement of second: 15/03/2013	परिपक्वता बीमाधन (₹) Maturity Sum Assured (₹): 600000	क्या आयु स्वीकृत है? Whether age admitted? Y
योजना एवं अवधि: Plan and term: 813 10		
परिपक्वता की तिथि: Date of Maturity: 15/03/2023		

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित: Nominee under Section 39 of the Insurance Act, 1938:

नामिती अवस्था हो तो नियुक्त व्यक्ति का नाम: If Nominee is a minor, the name of the Appointee

प्रस्ताव सं.: Proposal No.:

10007

प्रस्ताव की तिथि: Date of Proposal:

15/03/2013

प्रस्तावक का नाम और पता / Name and address of Proposer:

AS A
AAYUSH JIGNESH SHAH [LA]
RINA JIGNESH SHAH [PR]
501, MOHAN PALACE 5 TH FLR. TP
III BORIVALI -WEST,
400092

बीमित व्यक्ति का नाम और पता / Name and address of Life Assured

AS
AAYUSH JIGNESH SHAH [LA]
RINA JIGNESH SHAH [PR]
501, MOHAN PALACE 5 TH FLR. TP
III BORIVALI -WEST, MUMBAI
400092

घटनाएँ जिनके घटने पर भुगतान किया जाएगा / Events on the happening of which Payments are to be made:

घटनाएँ / Events	भुगतान / Payments
बीमित व्यक्ति के परिपक्वता की निर्धारित तिथि से पहले मृत्यु पर On death of the Life Assured before the stipulated Date of Maturity.	पहले पाँच पॉलिसी वर्षों के दौरान मृत्यु पर: मूल बीमित राशि अर्थात् एकल प्रीमियम का 10 गुना अतिरिक्त प्रीमियम जोड़कर, यदि कोई हो. On death during first five policy years: Basic Sum assured i.e 10 times the single premium excluding extra premium, if any. पॉलिसी के पाँच वर्ष पूर्ण होने पर: मूल बीमित राशि अर्थात् एकल प्रीमियम का 10 गुना अतिरिक्त प्रीमियम जोड़कर, निष्ठा बूटि के साथ यदि कोई हो. On death after completion of five policy years: Basic Sum assured i.e 10 times the single premium excluding extra premium, if any, along with Loyalty Addition, if any.
बीमित व्यक्ति के परिपक्वता की निर्धारित तिथि तक जीवित रहने पर On Life Assured surviving the stipulated Date of Maturity	परिपक्वता बीमाधन निष्ठा बूटि के साथ, अगर कोई हो, देय होगा Maturity Sum Assured along with Loyalty Addition, if any, shall be payable.
हित लाभ किसे देय To whom Benefits payable	प्रस्तावक या उसके अनुदिष्ट या नामिती बीमा अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत या साक्षित निगमद्वारा या प्रशासक या अन्य कानूनी प्रतिनिधियों को जिनको उसकी संघ या इस पॉलिसी के अंतर्गत देय धनराशि के लिए भारत संघ के किसी राज्य या राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो. The Proposer or his Assignees or Nominees under Section 39 of the Insurance Act or proving Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India.

Special Provisions:

Loyalty Addition: This policy shall participate in the profit, in the form of Loyalty Addition depending upon the Corporation's experience with regard to policies issued under this plan. On the Life Assured surviving the stipulated date of maturity or on surrender during the last policy year or on death after completion of five policy year, the policy may be eligible for payment of Loyalty Addition, if any, at such rate and on such terms as may be declared by the Corporation.

विशेष प्रावधान:

निष्ठा बूटि: इस प्लान के अंतर्गत जारी पॉलिसियों के बारे में निगम के अनुभव के आधार पर यह पॉलिसी निष्ठा बूटियों के रूप में लाभों में भाग लेगी. बीमित व्यक्ति के परिपक्वता की निर्धारित तिथि तक जीवित रहने पर या अंतिम पॉलिसी वर्ष में अथवा या पॉलिसी के पाँच वर्ष पूर्ण होने के बाद बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर यह पॉलिसी उस दर से और उन शर्तों पर जो पॉलिसी के अंतर्गत निगम घोषित करे, निष्ठा बूटियों के भुगतान के लिए पात्र होगी, यदि कोई हो.

निगम की ओर से उपर्युक्त शाखा कार्यालय में हस्ताक्षरित, जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया जा रहा है और जिसे इस पॉलिसी से संबंधित संपत्ति पत्राचार संबंधित किया जाए.

Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office, whose address is given behind and to which all communications relating to the policy should be addressed.

Date / तारीख:

Examined by / जाँचकर्ता: MUDRANK 2004/4125/CR 690/M-1
Dt. 31.12.2004 Consolidated Stamp

Form No / फॉर्म सं.: Fe06/06/2013 Pay Order Vide Rec. 85

No. 25823 Dt. 31.12.2012. Stamp

Agency Code / एजेंसी कोड Agency Name / एजेंसी का नाम Mobile Number / Landline Number

मोबाइल नंबर / लैंडलाइन नंबर

01129929

SMT. KALPANA SHATEESH SHAH

9321083285

वनिता संतोष मैकर

उपस्थित शाखाधिकारी

Vinita Santosh Makar

Asst. Branch Manager

g.Chief/Sr.Branch Manager

MUMBAI - 400092 / Branch No. 929